न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी, करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

2019/00236 (236/2019)

गुरमन्दर सिंह पुत्र श्री कौर सिह जाति जट सिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। —अपीलाण्ट

बनाम

1. सिकन्दर सिंह पुत्र श्री कौर सिह जाति जटसिख निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—असल रेस्पोडेण्ट

3. जलन्धर सिह पुत्र श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनमानगढ। —तरतीबी रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम

विरुद्ध आदेश दिनांक 29.11.2019 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

अनवान सिकन्दर सिंह बनाम गुरमन्दर सिंह आदि प्र0 सं0 75/2018

श्री वतनदीप सिंह मान अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशप्रीत सिह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

श्री रविद्र भोभिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनॉकः— 12.03.21

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 "ए" के अन्तर्गत एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना—पत्र द्वारा अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी/अपीलांट की कृषि भूमि चक 9 पी.टी.पी. पत्थर नं. 126/129 मु0 नं0 [illegible] किला न 1 में पूर्व से पश्चिम पत्थर लाईन के साथ साथ 2 बिस्वा रास्ता [illegible] मांगा। अप्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:05:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

का विरोध करते हुए कथन किया क प्रार्थी के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु प. नं. 126/128 के किला नं. 21 व 22 में से आवागमन कर सकता है। प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रश्नगत रास्ता स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध, गलत तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। तहसीलदार संगरिया ने स्वयं मौका पर जाकर जांच रिपोर्ट तैयार नही की। रेस्पोडेण्ट चक 9 पीटीपी के पत्थर नं. 126/128 मुरब्बा नम्बर 14 के किला नं. 21 व 22 में से होकर आवागमन करता है। अपीलाण्ट के पास अपनी भूमि में आवगमन हेतु पूर्व में ही रास्ता है तो वह नये रास्ते की मांग नहीं कर सकता है। रास्ते की उपलब्धता को अनदेखा किया गया है। प्रश्नगत मौका रिपोट भी एकपक्षीय बनाई गई है। दोनों पक्षों की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट बनानी चाहिए थी जो नही बनाई गई है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पाडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ता स्वीकार किया है। रास्ते में आई भूमि के बदले में अपीलाण्ट को डी.एल.सी. दर की दोगुणा राशि जमा करवाने के आदेश दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने चक 9 पीटीपी के प. नं. 126/129 (14) किला नं. 1 में पूर्व से पश्चिम पत्थर लाईन के साथ साथ 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया है तथा रास्ता में आई भूमि के बदले में डीएलसी दर से दोगुणा राशि तहसील में जमा करवाने के आदेश दिये हैं। अपीलाण्ट का कथन है कि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवगमन हेतु वैकल्पिक रास्ता है, जिससे वह आना जाना करता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे आईएलआर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट दिनांक 12.06.2018 उपलब्ध [illegible] तहसीलदार द्वारा अपने पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है जिसमें रिपोर्ट में प्रार्थी को रास्ते [illegible] आवश्यकता होना दर्शाया है। तहसीलदार ने रिपोर्ट में चक 9 पीटीपी प. नं. 126/128 मु0 नं. 14 के किला नं. 1 में रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की है। उक्त तथ्यों के विपरीत अपीलाण्ट ने अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:05:17 IST
Reason: SelfAttested

Lovo
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित हो। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2019 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 12.03.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

12/3/21
(करतार सिंह पूनिया)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:05:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner